



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001  
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,  
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

11 जनवरी 2023

**भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच**

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹11,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

नीलामी की तारीख	मूल प्रतिभूतियां	मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य)	नियत प्रतिभूतियां
16 जनवरी 2023 (सोमवार)	7.37% जीएस 2023 (16 अप्रैल 2023 को परिपक्व होने वाली)	₹1,000 करोड़	6.79% जीएस 2029 (26 दिसंबर 2029 को परिपक्व होने वाली)
	7.68% जीएस 2023 (15 दिसंबर 2023 को परिपक्व होने वाली)	₹1,000 करोड़	7.72% जीएस 2055 (26 अक्टूबर 2055 को परिपक्व होने वाली)
	7.68% जीएस 2023 (15 दिसंबर 2023 को परिपक्व होने वाली)	₹1,500 करोड़	7.40% जीएस 2062 (19 सितंबर 2062 को परिपक्व होने वाली)
	7.68% जीएस 2023 (15 दिसंबर 2023 को परिपक्व होने वाली)	₹1,000 करोड़	6.80% जीएस 2060 (15 दिसंबर 2060 को परिपक्व होने वाली)
	7.32% जीएस 2024 (28 जनवरी 2024 को परिपक्व होने वाली)	₹1,000 करोड़	6.10% जीएस 2031 (12 जुलाई 2031 को परिपक्व होने वाली)
	एफ़आरबी 2024 (7 नवंबर 2024 को परिपक्व होने वाली)	₹3,000 करोड़	7.59% जीएस 2029 (20 मार्च 2029 को परिपक्व होने वाली)
	9.15% जीएस 2024 (14 नवंबर 2024 को परिपक्व होने वाली)	₹2,500 करोड़	7.10% जीएस 2029 (18 अप्रैल 2029 को परिपक्व होने वाली)
	<b>कुल</b>	<b>11,000 करोड़</b>	

बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे दो दशमलव स्थानों तक भारतीय रुपये में मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।

नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात् सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में **16 जनवरी 2023 (सोमवार)** को पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान **17 जनवरी 2023 (मंगलवार)** को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है :

- अधिसूचित राशि से कम राशि के प्रस्तावों को स्वीकार करना।
- पूर्णांकन प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना।
- बिना कोई कारण दिये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तथा अन्य विवरण [अनुबंध](#) में दिए गए हैं।